न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/375

1. स्व0 सिद्धार्थ सिंह आत्मज ठाकुर श्यामसिंह जी रावल जाति राजपूत निवीसं ग्राम जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती अम्बिका सिंह पत्नी स्व0 श्री सिद्धार्थ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां ।
   1/2. पवित्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सिद्धार्थ सिंह जी नाबाल्गि जरिये वली माता स्वयं श्रीमती अम्बिका सिंह पत्नी स्व0 श्री सिद्धार्थ सिंह जी जाति राजपूत निवासी ग्राम जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां ।
   1/3. रमण सिंह पुत्र स्व0 सिद्धार्थ सिंह जी नाबालिग जरिये वली माता स्वयं श्रीमी अम्बिका सिंह पत्नी स्व0 श्री सिद्धार्थ सिंह जी जाति राजपूत निवासी ग्राम जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बारां ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रश्मि राठौड पत्नी स्व0 श्री भीष्म प्रतापसिंह जी परमार पुत्री श्री रघुवीर सिंह जी जाति राजपूत निवासी 103 कृष्णा नगर बजरंग नगर, कोटा ।
2. स्वर्गीय भीष्म प्रतापसिंह जी परमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह जी जाति राजपूत निवासी 103 कृष्णानगर, बजरंग नगर, कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती रश्मि राठौड पत्नी स्व0 श्री भीष्मप्रताप्र सिंह जी परमार जाति राजपूत निवासी 103 कृष्णानगर, बजरंगनगर, कोटा ।
   2/2. अभिमन्यु सिंह पुत्र स्व0 श्री भीष्मप्रताप सिंह जी परमार जाति राजपूत निवासी 103 कृष्णानगर, बजरंग नगर, कोटा ।
   2/3. सुश्री सूर्याशी पुत्री स्व0 श्री भीष्मप्रताप सिंह जी परमार जाति राजपूत निवासी 103 कृष्णानगर, बजरंग नगर, कोटा ।
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जोधसिंह जी परमार जाति राजपूत निवासी 103 कृष्णानगर, बजरंगनगर, कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पूरणमल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक सिद्धार्थ सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 19 की 2.06 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि नन्दू पत्नी गणेश राम जी लश्करी निवासी बोरखण्डी के खाते में दर्ज है । नन्दू ने उक्त भूमि में से 1.00 हैक्टर भूमि वादी को बेचान कर दी जो वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 19.11.1995 से खसरा नम्बर 19/1 से दर्ज हुई जो खाता संख्या 141 से वादी के नाम अलग खाते में दर्ज हुई । खातेदार नन्दू ने अपने खाते की 1.06 हैक्टर भूमि प्रतिवादिनी को बेचान कर दी जो नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 19.11.1995 से दर्ज हुई । वादी अपनी क्रयशुदा आराजी पर क्रय की दिनांक से बहैसियत मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि में से 0.03 हैक्टर भूमि श्रीमती सरला भार्गव को, 0.0276 हैक्टर भूमि रामस्वरूप भार्गव को व 0.0100 हैक्टर भूमि मनोज भार्गव को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर दी जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 365, 366, 367 दिनांक 05.04.2007 से क्रेतागण के खाते दर्ज हो गई । वादी द्वारा उक्त भूमि बेची गई भूमि को कम करने के बाद शेष 0.9324 हैक्टर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में भी है । वादी ने उक्त शेष रही भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 को कभी भी बेचान नहीं किया है किन्तु प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने वादी के नाम से फर्जी मुख्तार नामा प्रतिवादी क्रम 3 के नाम बनाकर उक्त भूमि को गलत रूप से प्रतिवादी क्रम 2 की पत्नी व प्रतिवादी क्रम 3 की भाभी प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया उक्त गलत बेचान के आधार पर नामान्तरकरण खुलवा लिया । वादी ने कभी भी प्रतिवादी क्रम 3 को मुख्तारआम नियुक्त नहीं किया और न ही भूमि का बेचान किया है । वादी ने उक्त मुख्तारनामे की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी । उक्त भूमि पर गलत बेचान के आधार पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त भी नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 19/5 की 0.93 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में तथाकथित फर्जी मुख्तारनामा आम के आधार पर विक्रय पत्र को अवैध व अवैधानिक व प्रभावशून्य घोषित करते हुए उक्त खसरा नम्बर 19/5 की 0.93 हैक्टर प्रतिवादिनी क्रम 1 के खाते से हटायी जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खाते दर्ज करते हुए रकबा 0.9323 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 19/1 का रकबा 0.9324 हैक्टर दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं और वादी को उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. प्रतिवादिनी क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थिया ने न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) क्रम– 1 दक्षिण कोटा में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा है । अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किये जाने योग्य है । प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में पक्षकारान एक समान हैं तथा विवादक बिन्दु भी एक समान है । प्रस्तुत किये गये वाद में वादग्रस्त आराजी को वादी ने प्रतिवादी प्रार्थिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया । उक्त भूमि पर प्रार्थिनी

काबिज काश्त है । अतः कब्जे के अभाव में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 मेन्टेनेबल नहीं है। वादी ने प्रतिवादी प्रार्थिनी के पक्ष में किये गये बेचान को भी चैलेंज नहीं किया है । वादी न तो वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है और न ही उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है । अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.04.2018 के द्वारा प्रार्थिनी प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 10 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है तथा वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद से वादकारण प्रकट होता है । अपीलान्ट ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 3 को अपना मुख्तारआम नियुक्त नहीं किया था तथा उसके पक्ष में कोई मुख्तार नामा निष्पादित नहीं किया । प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने फर्जी एवं कूटरचित मुख्तारनामा तैयार कर वादी अपीलान्ट की जानकारी के बिना एवं उसकी अनुमति के बिना ही फर्जी मुख्तारनामे के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में विक्रय निष्पादित कर दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद विचाराधीन है अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है । वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की अन्वीक्षा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विधि द्वारा वर्जित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.04.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. इस प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया है कि पूर्व में सुनवाई के बाद दावा डिक्री किया गया था जिसकी अपील वादी के द्वारा नहीं की गई है जो प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में पेश किया गया है वह आदेश 09 नियम 13 सीपीसी की परिभाषा में नहीं आता है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

10. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । पेश किये गये दस्तावेजात न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति जो प्रकरण से सम्बन्धित है और प्रकरण से प्रासंगिक है जिसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार

का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. दौरोने बहस रेस्पोडेन्ट ने फर्द के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं । उनमें फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 नया खाता संख्या 139, सिविल न्यायालय की आदेशिका की फोटो प्रतियॉ और निर्णय की फोटो प्रतियॉ हैं जो शमिल मिसल की गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि दावा विधि द्वारा बाधित नहीं है । वादकारण प्रकट किया हुआ है । वादी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट कम 3 को अपना मुख्तारआम नियुक्त नहीं किया है और न ही उसके पक्ष में कोई मुख्तारनामा निष्पादित किया गया है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 प्रतिवादी कम 2 की पत्नी है एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 3 की भाभी है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 ने फर्जी एंव कूटरचित मुख्तारनामा रेस्पोडेन्ट कम 3 के पक्ष में तैयार कर वादी अपीलान्ट की जानकारी के बिना ही एवं उसकी अनुमति के बिना ही फर्जी मुख्तारनामे के आधार पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जो गैर कानूनी होने से प्रभावशून्य है । वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । सिविल न्यायालय में जो वाद विचाराधीन है वह अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है । इस कारण वादी के दावे को प्रभावहीन मानना त्रुटिपूर्ण है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था । सिविल न्यायालय में जो डिक्री पारित की गई है उसको निरस्त करने के लिए अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो जैरकार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2018 (25) पेज 88, आरआरटी 2018 (1) पेज 629, आरआरडी 1984 पेज 143, आरएलडब्ल्यू 2012 (2) राज0 पेज 906, आरआरडी 1998 पेज 478, आरआरडी 2008 पेज 190, आरआरटी 2015 (1) पेज 474, डीएनजे 2016 (एससी) पेज 644, एआईआर 2001 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 1250 उद्धरत की ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा दावा पेश किया था जिसमें वादी के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया था उसके आधार पर सिविल न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है । अब राजस्व न्यायालय में दावा मेन्टेनेबल नहीं है । पंजीकृत विक्रय पत्र है जिसके आधार पर आराजी का विक्रय किया गया है और पंजीकृत विक्रय पत्र पॉवर ऑफ अटॉर्नी जो कि अपीलान्ट के द्वारा दी गई थी उसके आधार पर निष्पादित किया गया था । जब तक इस विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता है तब तक राजस्व न्यायालय में दावा पोषनीय नहीं है । जो एफ.आई.आर. वादी अपीलान्ट के द्वारा दर्ज करवायी गई थी उसमें अंतिम रिपोर्ट लग चुकी है और अंतिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है । इस निर्णय की कोई अपील पेश नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार दावा वादी खारिज किया

है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2018 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किया गया है वह आदेश 07 नियम 11 सीपीसी, धारा 10 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में यह अंकित किया गया है कि सिविल न्यायलय में एक दावा पूर्व में पेश किया गया है इस कारण वर्तमान दावा धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किये जाने योग्य है और इसी प्रार्थना पत्र में आगे दावा मेन्टेनेबल नहीं बताते हुए दावा खारिज करने की प्रार्थना की है और अंत में प्रार्थना पत्र में यह अंकित है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया जावे । यदि न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी स्वीकार करता है तो वाद को स्थगित रखा जावे ।

15. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 10 सीपीसी का हवाला देते हुए दावा वादी खारिज किया है जबकि धारा 10 सीपीसी के तहत दावा खारिज नहीं किया जा सकता वरन् दावा स्थगित किया जा सकता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है । साथ ही अपीलान्ट के द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनका अवलोकन करने के उपरान्त ही इस प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 15 में किये गये विवेचन के अनुसार यदि दावे को धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किया जाना उचित समझा जाता है तो तद्नुसार निर्णय पारित करें और यदि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावे को मेन्टेनेबल नहीं माना जाता है तो उस स्थिति में उसी धारा के तहत निर्णय पारित करें । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 10 सीपीसी के तहत एक साथ निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट के द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनको भी अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु कर दिया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा